

भारतीय मानक ब्यूरो

(प्रशासन विभाग)

परिपत्र

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत सूचना की पूर्व सक्रिय घोषणा को अपडेट करने के संबंध में।


सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत बीआईएस द्वारा अपने वेबसाइट पर पूर्व सक्रिय घोषणा दी गई है। इस सूचना को समय-समय पर अपडेट करना अपेक्षित है ताकि जनता को जानकारी लेने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। इस संबंध में, प्रशासन विभाग ने परिपत्र सं. बीआईएस/ मुख्यालय/ परिपत्र (24)/ 2015 दिनांक 08 सितंबर 2015 तथा बीआईएस/ मुख्यालय/ परिपत्र (03)/ 2020 दिनांक 14 जनवरी 2020 द्वारा ब्यूरो के सभी विभाग प्रमुखों को बीआईएस वेबसाइट पर अपने विभाग से संबंधित सूचना को अपडेट करने हेतु सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

2. ऐसा देखा गया है कि ब्यूरो के कुछ विभागों ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत अपनी पूर्व सक्रिय घोषणा अभी तक अपडेट नहीं की है।

3. ब्यूरो के सभी विभाग प्रमुखों से पुनः अनुरोध है कि बीआईएस वेबसाइट पर आईटीएस विभाग के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत अपनी पूर्व सक्रिय घोषणा दिनांक 07 फरवरी 2020 या इससे पूर्व अपडेट करें। इसे अपडेट करने के लिए अपेक्षित लिंक नीचे दिया गया है:

बीआईएस वेबसाइट (www.bis.gov.in) > आरटीआई > पूर्व सक्रिय घोषणा > सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4

4. कृपया इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।


(विनोद कुमार) 3/2

निदेशक (प्रशासन) एवं
ब्यूरो के नोडल अधिकारी

हमारा संदर्भ: प्रशा./04/01/2014 (वोल्यूम -III)

परिचालित: बीआईएस मुख्यालय के सभी विभाग प्रमुख/ गतिविधि प्रमुख/
क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय /एनआईटीएस/ प्रयोगशालाएँ/ सीएल -
आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि प्रेषित: श्री महिम जैन, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (प्रमाणन) तथा ब्यूरो
के पारदर्शिता अधिकारी को सूचनार्थ।

Bureau of Indian Standards
(Administration Department)

CIRCULAR


Subject: **To update the Proactive Declaration of information under Section 4 of RTI Act - reg.**

Proactive declaration of information under Section 4 of RTI Act has been made by BIS on its website. This information is required to be updated from time to time so that public may have minimum resort to the use of RTI Act to obtain information. In this connection, Administration Department, vide Circular No. BIS/HQ/Admn/Circular (24)/2015 dated 08 Sept 2015 and BIS/HQ/ADMN/Circular (03)/2020 dated 14 January 2020 has requested all Heads of Department of the Bureau to ensure that information pertaining to their department may be updated on BIS website.

2. It has been observed that some departments of the Bureau have not still updated their Proactive Declaration of information under Section 4 of RTI Act.
3. All Head of the Departments of the Bureau are, once again, requested to update their Proactive Declaration of information under Section 4 of RTI Act, **on or before 07 February 2020**, through ITS Department, on BIS website. The required link for updation the same as follows:

BIS website (www.bis.gov.in) > RTI > Proactive Declaration > Section 4 of RTI Act

4. The matter may be accorded on, TOP PRIORITY, please.


(Vinod Kumar)

Director (Administration) &
Nodal Officer of the Bureau

Our Ref: ADMN/04/01/2014, Vol-III

Circulated to: All Head of the Departments of BIS at BIS HQs/Activity Heads/ROs/
BOs/NITS/Labs/CL - for necessary action, please.

Copy to: Shri Mahim Jain, Sc G & DDG (Certification) and Transparency Officer of
the Bureau - for kind information, please.